राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या .. 1479/2017..............................जिला...........जयपुर..

उनवान –मैसर्स मैफिक्स फूड्स, जयपुर बनाम 1. उपायुक्त (प्रशा) तृतीय, जयपुर 2. सहायक आयुक्त, विशेष वृत चतुर्थ, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/11/2017	**खण्डपीठ** **श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य** **श्री ओ.एस. आशिया, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र पर उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 34 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 05.10.2017 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने स्वयं द्वारा विनिर्मित पिज्जा, सैण्डविच, बर्गर एवं ब्राण्डेड बेकरी प्रोडेक्ट की बिक्री 5 प्रतिशत की कर दर से की है, जबकि कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार पिज्जा, सैण्डविच, बर्गर एवं ब्राण्डेड बैकरी प्रोडेक्टस पर आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत की दर से करदेयता थी। अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु कई बार नोटिस जारी किये गये, परन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ एवं ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर के समक्ष धारा 34 के तहत एक तरफा आदेश प्रकरण को री–ओपन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 05.10.2017 द्वारा अस्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मोहनोत के बीमार होने (तत्पश्चात् उनका निधन भी हो गया) के कारण अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो सका। उसके पश्चात् व्यवहारी द्वारा नियुक्त अधिकृत प्रतिनिधि (CA) श्री बी.एल.चौधरी भी बीमार हो गये, जिनकी बीमारी के प्रमाण के रूप में अपीलार्थी द्वारा डॉ. मोहन कुलहरी, फोर्टिस एस्कॉर्टस हॉस्पिटल द्वारा जारी चित्सिकीय प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जिसमें डॉक्टर द्वारा उन्हें दिनांक 22.06.2017 से 29.06.2017 तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई। अतः उपायुक्त (प्रशासन) ने तकनीकी व प्रशासनिक आधार पर अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने को अनुचित बतलाते हुए उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर के आदेश दिनांक 05.10.2017 को खारिज करने का निवेदन किया एवं अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने उन्हें सुनवाई का अवसर देने का निवेदन किया। इसके विपरीत उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त (प्रशासन) तृतीय, जयपुर के आदेशों का पुरजोर समर्थन किया तथा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया।	

लगातार...............2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या– 1479 / 2017................................जिला............जैंयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08 / 11 / 2017	हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को यद्यपि सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया था परन्तु अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि (CA) श्री मोहनोत एवं श्री बी.एल.चौधरी के बीमार होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष वे उपस्थित नहीं हो सके एवं ना ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस का जवाब दे सके। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा डॉ. मोहन कुलहरी, फोर्टिस एस्कॉर्टस हॉस्पिटल द्वारा श्री बी.एल.चौधरी की रुग्णता के सम्बन्ध में जारी चिकित्सकीय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें डॉक्टर द्वारा उन्हें दिनांक 22.06.2017 से 29.06.2017 तक बेड रेस्ट की सलाह दी है। अतः प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। फलतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा एक तरफा पारित आदेश को री–ओपन करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी का पक्ष सुनने के पश्चात पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे दिनांक 04.12.2017 को मय समस्त तथ्यों व दस्तावेजों के कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। निर्णय सुनाया गया। (ओ.एस.आशिया) सदस्य (मदनलाल मालवीय) सदस्य	